न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 99 / 2024

प्रार्थीनी	बनाम	अप्रार्थी
1 मगी कुमारी पत्नी चन्द्रप्रकाश जाति जाट निवासी कोहरियों की बस्ती मौखाब कला तहसील शिव जिला बाडमेर।		1 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 व 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1. श्री राजेश विश्नोई, वकील प्रार्थीनी।
2. पैरोकार सरकार।

आदेश

दिनांक 27/11/24

संक्षिप्त में प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी की खातेदारी का खेत मौजा बाडमेर पटवार हल्का बाडमेर शहर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 3703 / 1224 रकबा 0.0660 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी में राजस्व अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा लट्ठा ट्रेस में तरमीम करते समय लठ्ठा ट्रेस में मौके के अनुसार नहीं की जाकर भिन्न की ही तरमीम की गई है, जो कि गलत अंकन है। प्रार्थीनी के कब्जे काश्त की भूमि की लट्ठा ट्रेस में तरमीम की गई है जो तरमीम मौके पर कब्जा काश्त अनुसार नहीं की गई तथा लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम व मौके पर प्रार्थीनी के मौजूद कब्जा में भारी अंतर है जबकि प्रार्थीनी का मौके पर कब्जा परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। उक्त गलत तरमीम होने से मौके पर तनाव की स्थिति है। मौजा बाडमेर पटवार हल्का बाडमेर शहर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 3703 / 1224 रकबा 0.0660 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीनी की वर्तमान राजस्व नक्शा में तरमीम परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार है। परन्तु लठ्ठा ट्रेस में की गई तरमीम मौके के अनुसार नहीं कर राजस्व अधिकारियों ने बिना जांच किये तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त अनुसार न कर गलत तरमीम अंकित की दी गई प्रार्थीनी मौके पर संलग्न परिशिष्ठ "अ" में के अनुसार कब्जा काश्त है तथा परिशिष्ठ "अ" के अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। लिहाजा प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीनी की खातेदारी का खेत मौजा बाडमेर पटवार हल्का बाडमेर शहर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 3703 / 1224 रकबा 0.0660 हैक्टेयर भूमि की तरमीम मौके पर कब्जा काश्त अनुसार परिशिष्ठ "अ" के अनुसार दुरूस्त करवाने के आदेश फरमावे।।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार बाडमेर से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर ने अपने पत्रांक [illegible] / 1799 दिनांक 10.07.2024 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि मौजा [illegible] हल्का बाडमेर शहर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 3703 / 1224 [illegible] 0.0660 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान नक्शा में खसरा संख्या 3703 / 1224 व पड़ौसी खसरा संख्या 3700 / 1224 की संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ए' के अनुसार है जबकि प्रार्थीनी द्वारा क्रय की गई भूमि का बेचान अनुसार खसरा संख्या 3700 / 1224 व 3703 / 1224 की तरमीम परस्पर गलत अंकित है। मौके पर प्रार्थीनी द्वारा दिनांक 23.12.2016 को जारी प्रतिलिपि की छाया प्रति पेश की गई जिसमे सही अंकित है। लठ्ठा ट्रेस में छोटी तरमीम अंकित होने से व लठ्ठा ट्रेस पुराना

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2024.12.23 10:20:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

होने से सही–सही नम्बरों का मिलान नही होने से डीआईएलआरएमपी योजनान्तर्गत रेकर्ड ऑनलाईन करते समय भूलवंस खसरा संख्या 3700/1224 व 3703/1224 की तरमीम गलत अंकित हुई है, जिसे संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'बी' के अनुसार दुरूस्त किया जाना प्रस्तावित है। अतः मौजा बाडमेर पटवार हल्का बाडमेर शहर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 3703/1224 रकबा 0.0660 हैक्टेयर भूमि की संलग्न परिशिष्ठ ''बी'' के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अभिशंषा की है।

वकील प्रार्थीनी को सुना गया। वकील प्रार्थीनी ने निवेदन किया कि तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द अनुसार तरमीम दुरूस्त की जाती है तो मुझे कोई आपति नही है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दरतावेज यथा जमाबन्दी संवत् 2075–2078, नक्शों, मौका फर्द व संलग्न नक्शों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर ने मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि मौका पर कब्जा के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ ''बी'' के अनुसार है तथा प्रस्तावित तरमीम दुरूस्ती हेतु प्रार्थीनी द्वारा सहमति प्रकट की गई है। तहसीलदार बाडमेर का यह कथन मानने योग्य है कि लठ्ठा ट्रेस में छोटी तरमीम अंकित होने से व लठ्ठा ट्रेस पुराना होने से सही–सही नम्बरों का मिलान नही होने से डीआईएलआरएमपी योजनान्तर्गत रेकर्ड ऑनलाईन करते समय भूलवंस खसरा संख्या 3700/1224 व 3703/1224 की तरमीम गलत अंकित हुई है, जिसे संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'बी' के अनुसार दुरूस्त किया जाना प्रस्तावित है। अतः मौजा बाडमेर पटवार हल्का बाडमेर शहर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 3703/1224 रकबा 0.0660 हैक्टेयर भूमि की लठ्ठा ट्रेस में तरमीम तहसीलदार बाडमेर के संलग्न मौका फर्द के संलग्न परिशिष्ठ ''बी'' के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अभिशंषा की है। लिहाजा मौजा बाडमेर पटवार हल्का बाडमेर शहर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 3703/1224 रकबा 0.0660 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान लठ्ठा ट्रेस तरमीम को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ठ ''बी'' के अनुसार दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा बाडमेर पटवार हल्का बाडमेर शहर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 3703/1224 रकबा 0.0660 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ ''बी'' अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ ''बी'' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2024.12.23 10:20:42 IST
Reason: SelfAttested

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 27/11/24 को सरें आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर